



प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

पत्र संख्या- 132/2025

दिनांक- 09.04.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 09.04.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-

01.थाना- महाराजगंज: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास-

अवगत कराना है कि दिनांक 08.04.25 को वादी संजय कुमार s/o खुददुर राम ग्राम- देवारा त्रिपुरारपुर खालसा कोलवाली महाराजगंज जनपद –आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया कि विपक्षी अभिषेक उर्फ सोनू पुत्र रामपलट राम सा0 देवारा त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक की पुत्री उम्र-16 वर्ष को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 117/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ0नि0 मनोज कुमार मिश्र द्वारा की जा रही है। साक्ष्य संकलन के आधार पर पीडिता की उम्र 16 वर्ष पाये जाने के कारण व बरामदगी व पीडिता के बयान के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 08.04.2025 उ0नि0 मनोज कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक उर्फ सोनू पुत्र रामपलट राम सा0 देवारा त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ को समय 16.31 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अभिषेक उर्फ सोनू पुत्र रामपलट राम सा0 देवारा त्रिपुरारपुर खालसा थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 27 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 117/25 धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 4(2) पाक्सो एक्ट में पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 मनोज कुमार मिश्र थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़



02.थाना – गम्भीरपुर- वेबसाइट पर इन्वेस्ट करने के नाम पर हुए साइबर फ्राड का 35000 /- रूपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया-

पूर्व की घटना:- दिनांक 28.01.2025 को वादी अमित राय पुत्र नरेन्द्र राय, ग्राम बेलऊ ,थाना गम्भीरपुर ,जनपद आजमगढ़ ने थाना पर आकर लिखित तहरीर दिया कि मेरे भाई उत्कर्ष राय के मोबाइल पर फ्राडर द्वारा काल वेबसाइट पर इन्वेस्ट करने के नाम पर 70000/- रूपये का फ्राड किया गया था। जिस पर वादी ने साइबर हेल्पलाइन न0 1930 पर काल करके कम्पलेन न0 23109240102034 दर्ज कराया गया था। जिस पर साइबर टीम थाना गम्भीरपुर के उ0नि0 विपिन द्विवेदी मय हमराह द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए साइबर थाना की मदद से आवेदक के साथ हुए फ्राड का 35000 रूपये होल्ड कराया गया था। जिसको मा0न्यायालय से आदेश कराकर वादी के साथ हुए फ्राड का 35000/- रूपये आवेदक के खाते में रिलिज कराया गया।

वापस कराया गया धनराशि- 35000/- रूपये (पैंतीस हजार रूपये)

पुलिस टीम:-

- 1.थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
- 2.उ0नि0 विपिन कुमार द्विवेदी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए कुलदीप कुमार गुप्ता थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़



03.थाना बिलरियागंज: किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना –

दिनांक 26.7.2024 को आवेदिका थाना बिलरियागंज आजमगढ़ की उपस्थित थाना आकर प्रा0पत्र दिया कि वादिनी की नाबालिक पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष को शाम 7 बजे के आस-पास घर से शौच करने के लिये खेत सिवान की तरफ गयी थी कि विपक्षी किशन उर्फ रजनीश पुत्र त्रिभुवन राम सा0 पटवध कौतुक थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 270/24 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी । जिसमें पीड़िता को सकुशल दिनांक 27.07.2024 को बरामद कर अभियुक्त की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 09.04.25 को थानाध्यक्ष सुनील कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त किशन उर्फ रजनीश पुत्र त्रिभुवन राम सा0 पटवध कौतुक थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को अभियुक्त के घर से समय 08.35 बजे ग्राम पटवध कौतुक से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 270/24 धारा 137(2), 87, 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पाक्सो एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष मय हमराह बिलरियागंज आजमगढ़
- 2-हे0का0 दीपक कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़



हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के द्वारा चलाये जा रहे लावारिश वाहनों के निस्तारण के क्रम में दिनांक- 11.04.2025 को थाना सिधारी परिसर में लावारिस कुल 22 वाहनों की निलामी की जायेगी।

04.थाना सिधारी: लावारिस कुल 22 वाहनों का 11 अप्रैल को होगी निलामी

अवगत कराना है कि दिनांक-11.04.2025 को समय- 12.00 बजे दिन में थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के प्रांगण में लावारिस वाहनों की निलामी की जायेगी जिसमें दो पहिया वाहनों की संख्या 21, एक वाहन तीन पहिया टेम्पों

निलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों के लिये कुछ शर्तें इस प्रकार है।

- 1.निलामी में परिवहन विभाग से वाहनों के अनुमानित मूल्य से कम पर बोली स्वीकार नहीं की जायेगी .
2. निलामी प्राप्त करने वालों को वाहन की परिवहन करने की अनुमति नहीं होगी.

विवरण वाहन निम्न प्रकार से है-

क्र०सं०	वाहन का प्रकार	रजि०	चेचिस नम्बर नं०	इंजन न०	क्षे०परि०अधि० द्वारा मूल्यांकन
1.	टेम्पू	UP50BT 1228	MD2B18BX3 NWE5316	AZXWME3939 4	160000
2.	हीरो होण्डा पैसन	DL8SAAS 9246	MBLHA10EW AGD250	HA10EDAGD2 2 336	5200/-
3.	स्पेलेण्डर	UP50 L 8339	05EAA19856	05AAM20046	4800/-
4.	हीरो सुपर	UP50AE6716	MBLJAOSPEK D9K258	JA0SECD9K25 3 03	4200/-
5.	बजाज पल्सर	UPEK0635	MD2A11CZ9CCD6771	DHZCCD6728 8	4800/-
6.	TVS मो०सा०	UP54C4334	घिसा हुआ नम्बर	घिसा हुआ नम्बर	4200/-
7.	बजाज पल्सर	MH02DT5646	MD2A12DZ1ECF37601	DJZCEF56757	16500/-
8.	मो०सा० बजाज	UPK9074	DVDLG21392	DGBLG21357	4800/-
9.	पल्सर	UP62V2060	MD2DSTAZZSCL5768	JEGDSL58203	6800/-
10.	स्टेनर	DL8SAR2101	ME4JC402H88008618	JC40E9013067	6800/-
11.	मो०सा० हिरो स्पेलेण्डर	UP50S7191	खिसा हुआ	HA10EA89A82 742	4800/-
12.	मो०सा० बाजाज पल्सर	UP54M2977	MD2DHDHZZUCK1281 1	DHGDUK7984 0	6800/-
13.	मो०सा० हिरो स्पेलेण्डर	खिसा हुआ	खिसा हुआ	00M18M19901	4800/-
14.	बाक्सर	खिसा हुआ	खिसा हुआ	DFMBJC86693	3600/-
15.	मो०सा० बाजाज डिस्कवर	UP41K5245	MD2DSJNZPCE5254	JNGBPE61758	4800/-
16.	डिलक्स	खिसा हुआ	खिसा हुआ	HA11ENJ9J004 86	4800/-
17.	मो०सा० स्पेलेण्डर	खिसा हुआ	खिसा हुआ	HA10ELEHB3 0843	3800/-
18.	मो०सा० पैसन	UP70V0986	01L21C26356	01L21M20826	4400/-
19.	मो०सा०	UP60S1456	खिसा हुआ	खिसा हुआ	4200/-
20.	मो०सा० हिरो पैशन प्रो	UP50X7406	MBLHA10UBGF03303	HA10ECBGFO 8671	5600/-
21.	मो०सा० होण्डा साइन	UP50Z8361	खिसा हुआ	JC36E9109658	5800/-
22.	मो०सा० हिरो पैशन प्लस	UP65Y6834	O4EO9C11255	04E08M11570	4800/-